प्रारूप

(नियम 8–क उप–नियम (4) देखिए)

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा,नागौर(राजस्थान)

क्रमांक–शिविना /प्रा.शि./ सा–1/आरटीई/मान्यता/16–17/ 565 दिनांक– 09-9-16

अध्यक्ष/प्रबंधक प्रबंध समिति
संस्कार पब्लिक स्कूल, परबतसर ।

विषय :–नियम 8–क उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक 17.05.16.और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चात्‌वर्ती पत्र व्यवहार /निरीक्षण के सन्दर्भ में मैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा,नागौर द्वारा संस्कार पब्लिक स्कूल, परबतसर ब्लॉक परबतसर जिला नागौर को सत्र 2016–17 से प्राम्भिक कक्षाओं (01 से 08 तक) अंग्रेजी माध्यम के लिए मान्यता मंजूर करता हूँ। उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन है–

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता /सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009(2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के उपबन्धों की पालना करेगा।
3. विद्यालय स्तर कक्षा –1 में या यथास्थिति विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा के छात्र संख्या की सीमा तक आस–पास के कमजोर वर्ग और अभावग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उनकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवायेगा।
4. पैरा –3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालयो को राजस्थान निःशुल्क उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय का एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी /विद्यालय कोई कैपिटेशन फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इन्कार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों की पालना करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि–

i. विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
ii. कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा।
iii. किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा।
iv. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के नियम 23 के अधीन यथा –अधिकथित प्रमाण –पत्र प्रदान किया जायेगा।
v. 2009 अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए।
vi. अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप धारा (1) के अधीन अभिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाये। परन्तु वर्तमान अध्यापक जो 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते है। वें 2009 के अधिनियम की धारा 23 परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यमनतम अर्हताऐं अर्जित करेंगे।
vii. अध्यापक 2009 के अधियिम की धारा 24 की उप धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अभिकथित पाठ्यकम का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा –विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुसरण करेंगे।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऍ नहीं चलाई जायेगी!
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाऍ या खेल मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लियें जायेंगे।
11. विद्यालया सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 21) राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958(1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्सम प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विद्यालय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टड एकाउटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हे प्रमाणित किया जायेगा, और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या NGR 201603 है। कृपया इसे नोट किया जावे, और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जावें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा,जिनकी निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार /स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों की पालना करेगा, जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जाए।
16. निजी विद्यालय को जिस सत्र की मान्यता स्वीकृति जारी की गई है, उसी सत्र मे विद्यालय प्रारम्भ करना होगा। विद्यालय शुरू नहीं करने की स्थिति में दी गई मान्यता स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी तथा संस्था को अगले सत्र प्रारम्भ से पूर्व मान्यता के लिए विधिवत नियमानुसार पुनः शुल्क आदि जमा करवाकर आवेदन करना होगा।

PRINCIPAL
SANSKAR PUBLIC SCHOOL
PARBATSAR
SCHOOL CODE - 11180

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,नागौर

क्रमांक :–शिविना/प्रार.शि./सा–1/आरटीई/मान्यता/16–17/ 565 दिनांक:– 09-9-16

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. श्रीमान निजी सचिव निदेशक (प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग राजस्थान,बीकानेर।
2. श्रीमान उप निदेशक (आर.टी.ई) निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
3. श्रीमान उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर मण्डल, अजमेर।
4. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय नागौर।
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी परबतसर।
6. रक्षित पत्रावली /कार्यालय हाजा।

Rohit
Secretary
Sewa Bhavi Shikshan Sans

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,नागौर

Scanned with CamScanner